पीठासीन अधिकारी का नाम– रेनू मीणा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर – 216/2012

1. गाजी पीर शेर सुलतान जी कस्बा फतेहपुर जरिये खादीम व जायरीन अब्दुल वासिद उम्र 29 वर्ष पुत्र युनूस जाति काजी निवासी मौहल्ला जहांगीर कुंआ के पास कस्बा फतेहपुर जिला–सीकर राज.

वादी

बनाम

1. सादीक लहरा पुत्र युसुफ लहरा जाति व्यापारी निवासी वार्ड नंबर 10 मोहल्ला व्यापारियान आजाद स्कूल के पास कस्बा फतेहपुर जिला सीकर
2. जीवणखां पुत्र नामालूम जाति कायमखानी निवासी ग्राम रोलसाहबसर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज.
3. मोहम्मद जिन्दरान पुत्र नूरमोहम्मद जाति जिन्दरान व्यापारी निवासी वार्ड नंबर 9 मोहल्ला व्यापारियान चौगरा के पास कस्बा फतेहपुर जिला सीकर
4. राशिद पुत्र शौकीन
5. मुबारिक पुत्र जाफर हुसैन
6. आबिद पुत्र असलम
7. जाफर हुसैन पुत्र गोस माहम्मद
   समस्त जाति काजी मुसलमान निवासी वार्ड नं. 35 मौहल्ला मोमीनपुरा कस्बा फतेहपुर जिला सीकर
8. पटवारी हल्का फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर
9. तहसीलदार महोदय, फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर
10. राजस्थान सरकार द्वारा जिला कलेक्टर महोदय सीकर राज0
11. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका मण्डल फतेहपुर जिला सीकर

......प्रतिवादीगण

वाद स्थाई निषेधाज्ञा हेतु

उपस्थित अधिवक्ता

श्री अनिल मिश्रा– वादी
श्री अब्दुल रशीद – प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांकः– 11.04.2018

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कस्बा फतेहपुर की तन में काश्त भूमियों आराजी खसरा नंबर 166 रकबा 5.87 हैक्टेयर, खसरा नंबर 167 रकबा 5. 3700 हैक्टेयर खसरा नंबर 168 रकबा 4.9200 हैक्टेयर अवस्थित है। वाद पत्र में उक्त तीनों काश्त भूमियों को विवादित आराजियात

जाना विधिक रुप से संभव ही है। वादी माफी पीर के कब्जे, काश्त खातेदारी अधिकार की भूमियों में भूमियों में केवल काश्त की जाकर पीर के कब्जे, काश्त खातेदारी अधिकार की भूमियों में केवल काश्त की जाकर फसल की आमदनी से वादी माफी पीर का संचालन व्यवस्था ही की जा सकती है।

प्रार्थी वादी माफी पीर शेर सुलतान का खादिम व जायरीन है तथा वर्षों से नियमित वादी माफी पीर की दरगाह में जियारत व भक्ति करता है। वादी माफी पीर के अन्य खादिम की तरह ही सेवा पूजा करता चला आ रहा है।

प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 7 का विवादित आराजियात से किसी प्रकार का कोई संबंध सरोकार नहीं है। उक्त प्रतिवादीगण भूमाफिया लोगों के संपर्क में है, जो वादी माफी पीर की चीर अवयस्कता का फायदा उठाकर तथा विवादित आराजियात आबादी के नजदीक आ जाने से लालचवश विवादित आराजियात पर जबरन कब्जा कर कृषि से अकृषि में परिवर्तन करने एवं छोटे छोटे भूखण्डों में विभक्त कर विवादित आराजीयात को विक्रय हस्तांतरण कर पिछले माह से खुर्द बुर्द करने को सचेष्ट हो रहे है। प्रतिवादीगण की उक्त कार्यवाही सर्वथा अवैध व अनुचित है। प्रतिवादीगण यदि अपनी उक्त अवैध कार्यवाही सफल हो जाते है तब उस परिस्थिति वादी चिरअवयस्क को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति बाद में अन्यथा तौर पर संभव नहीं होगी । इसलिये प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाना उचित व आवश्यक है।

वादी माफी पीर शेर सुलतान दरगाह में रोज काफी जायरीन आते है तथा अपनी जियारत आदि करते है एवं दुरुदों फातिहा वगैराह पढते है। वादी माफी पीर से हर आम जायरीन धार्मिक भावना को अनदेखा करते हुए विवादित आराजियात को टुकड़ो में विभक्त कर प्लॉटींग के जरिये विक्रय हस्तान्तरण करने का असफल प्रयास कर रहे है। ऐसी परिस्थिति में विवादित आराजियात नष्ट एवं बर्बाद होकर वादी पीर माफी दरगाह का अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है, इसलिये भी प्रतिवादीगण को निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाना उचित व न्यायसंगत है।

प्रतिवादीगण संख्या 8 व 9 भू धारक राजस्थान सरकार के स्थानीय प्रतिनिधी है, जिनका भी यह कर्तव्य है कि वादी माफी पीर दरगाह शेर सुलतान के कब्जे, काश्त खातेदारी की भूमियां की देखभाल करे तथा उन्हें खुर्द बुर्द नहीं होने देवे एवं कृषि से अकृषि के उपयोग में वादी चिरअवयस्क की भूमियों का उपयोग नही हो।

वाद कारण पिछले माह से प्रतिवादीगण द्वारा विवादित आराजियात में जबरन कब्जो कर कृषि से अकृषि में परिवर्तन करने को सचेष्ट होने पर उत्पन्न हुआ है जो वाद सावधि पेश है।

प्रतिवादीगण संख्या 8 लगायत 11 लोक सेवक एवं राज्य सरकार के रुप में पक्षकार है, जिनके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किये जाने से पूर्व उन्हें धारा 80 जा. दीवानी के अंतर्गत दो माह को विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक है, मगर वाद अतिआवश्यक प्रकृति का है तथा वादी ने तत्काल सहायता चाही है, नोटिस देकर वाद प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में उक्त

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

... बाद वादी मय प्रतिवादीगण इस कदर डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादीगण मय उनके ... वाकर परिजन एजेन्ट आदि को स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावे कि वे वाद ... की धारा 1 में अंकित आराजियात खसरा नंबर 166 रकबा 5.87 हैक्टेयर, खसरा नंबर 167 रकबा 5.37 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 168 रकबा 4.92 हैक्टेयर भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तन नहीं करें, न ही नंबर छोटे छोटे टुकड़ों में प्लॉटींग के जरिये विभक्त करें, न ही कच्ची पक्की लिखावट के जरिये विक्रय या अन्य प्रकार से हस्तानतरण करें, न ही खुर्द बुर्द कर नष्ट बर्बाद करे, न ही हरे पेड़ जांटिया काटे, न ही कच्चा पक्का निर्माण करे, न ही मिट्टी इत्यादि निकाले, न ही वाद के कब्जे, काश्त उपयोग उपभोग में किसी भी रुप से हस्तक्षेप करें तथा न ही मौके व राजस्व रिकार्ड में किसी तरह का परिवर्तन करें।

आदेश

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलवी जारी की गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील वादी की बहस सुनी गयी एवं मनन किया गया। अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 व 11 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित किया जाता है कि कस्बा फतेहपुर की भूमि खसरा नम्बर 166 रकबा 5.87 हैक्टेयर, खसरा नंबर 167 रकबा 5.37 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 168 रकबा 4.92 हैक्टेयर भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तन, विक्रय या अन्य प्रकार से हस्तानतरण, निर्माण नहीं करें, न ही वाद के कब्जे, काश्त उपयोग उपभोग में किसी भी रुप से हस्तक्षेप करें तथा न ही मौके व राजस्व रिकार्ड में किसी तरह का परिवर्तन नहीं करने हेतु पाबन्द किया जाता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर(सीकर)

उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

निर्णय आज दिनांक 11.04.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(रेनू मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर(सीकर)

उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

अदालत उपखण्ड अधिकारी ______ मुकाम ______ फतेहपुर (सीकर)

उपस्थित ______ रेनू मीना (आर.ए.एस.) ______

1. नाकी पीर शेर सुलतान जी कस्बा फतेहपुर जरिये खादीम व जायरीन अब्दुल वासिद उम्र 29 वर्ष पुत्र युनूस जाति काजी निवासी मौहल्ला जहांगीर कुंआ के पास कस्बा फतेहपुर जिला–सीकर राज.

वादी

<u>बनाम</u>

2. सादीक लहरा पुत्र युसुफ लहरा जाति व्यापारी निवासी वार्ड नंबर 10 मोहल्ला व्यापारियान आजाद स्कूल के पास कस्बा फतेहपुर जिला सीकर
3. जीवणखां पुत्र नामालूम जाति कायमखानी निवासी ग्राम रोलसाहबसर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज.
4. मोहम्मद जिन्दरान पुत्र नूरमोहम्मद जाति जिन्दरान व्यापारी निवासी वार्ड नंबर 9 मोहल्ला व्यापारियान चौगरा के पास कस्बा फतेहपुर जिला सीकर
5. राशिद पुत्र शौकीन
6. मुबारिक पुत्र जाफर हुसैन
7. आबिद पुत्र असलम
8. जाफर हुसैन पुत्र गोस माहम्मद
   समस्त जाति काजी मुसलमान निवासी वार्ड नं. 35 मौहल्ला मोमीनपुरा कस्बा फतेहपुर जिला सीकर
9. पटवारी हल्का फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर
10. तहसीलदार महोदय, फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर
11. राजस्थान सरकार द्वारा जिला कलेक्टर महोदय सीकर राज0
12. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका मण्डल फतेहपुर जिला सीकर

......प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी * फतेहपुर (सीकर)

<u>वाद स्थाई निषेधाज्ञा हेतु</u>

मुकदमा नं.....216..........................सन्....2012..........

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..........मेरे.......... मिनजानिब मुद्दई रूबरू.......श्री अब्दुल रशीद...... व हाजिरी...श्री अनिल मिश्रा एडवोकेट.......................... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 व 11 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित किया जाता है कि कस्बा फतेहपुर की भूमि खसरा नम्बर_166 रकबा 5.87 हैक्टेयर, खसरा नंबर 167 रकबा 5.37 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 168 रकबा 4.92 हैक्टेयर भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तन, विक्रय या अन्य प्रकार से हस्तानतरण, निर्माण नहीं करें, न ही वाद के कब्जे, काश्त उपयोग उपभोग में किसी भी रुप से हस्तक्षेप करें तथा न ही मौके व राजस्व रिकार्ड में किसी तरह का परिवर्तन नहीं करने हेतु पाबन्द किया जाता है। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे।

उपखण्ड अधिकारी

...............................मुबलिग.................—.....................बाबत.........................—.....................

[illegible] मुकदमे के मय शूद बशरह.................—.........................फीसदी सालाना आज की तारीख से

[illegible] अदायगी तक...का अदा करें।

बतसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख .....11.....माह .....अप्रेल.........सन् 2018 को जारी

की गई।

दस्तखत............उपखण्ड अधिकारी

ओहदा.............फतेहपुर (सीकर)

मुहर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दयलह	रूपया	पैसा
				0	
स्टाम्प अर्जी दावा	4		स्टाम्प अर्जी दावा	4	
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	—	
स्टाम्प वजह सबूत	—		स्टाम्प वजह सबूत	—	
महन्ताना वकील	—		महन्ताना वकील	—	
खर्चा गवाहान	—		खर्चा गवाहान	—	
फीस कमिश्नर	—		फीस कमिश्नर	—	
बबत इजराय हुक्मनामा	—		बबत इजराय हुक्मनामा	—	
मुतफरिक	—		मुतफरिक	4	
मीजान	3				

नोट – इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो पुरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हा या नहीं।